राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 8(3)कार्मिक/क–2/73 पार्ट जयपुर, दिनांकः 24/03/2022

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर) सहित।

परिपत्र

विषयः–सीधी भर्ती से नवनियुक्त कार्मिकों के कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि किये जाने के संबंध में।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 18.10.1997 द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से नवनियुक्त कार्मिकों की कार्यग्रहण अवधि को मूल नियुक्ति आदेश की दिनांक से 06 माह तक बढाये जाने हेतु नियुक्ति प्राधिकारियों को प्राधिकृत किया गया था एवं किसी भी स्थिति में कार्यग्रहण अवधि को 6 माह से अधिक नही बढाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

समय–समय पर विभिन्न प्रशासनिक विभागों से भिन्न–भिन्न कारणों से 06 माह की अवधि में शिथिलन हेतु प्रकरण कार्मिक विभाग को प्राप्त होते रहते है, जो निम्नानुसार है :–

1. नियुक्ति आदेश जारी होने के समय अभ्यर्थी के किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने के कारण कार्यग्रहण अवधि में विस्तार हेतु 6 माह की अवधि में शिथिलन बाबत।

2. नियुक्ति आदेश जारी होने के समय यदि अभ्यर्थी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर पदस्थापित है, एवं अभ्यर्थी को पूर्व पदस्थापित विभाग द्वारा 06 माह की अवधि में कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो उक्त स्थिति में 6 माह की अवधि में शिथिलन बाबत।

कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि के सम्बन्ध में प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण किया गया तथा उक्त परिपत्र दिनांक 18.10.1997 के अतिक्रमण में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. नियुक्ति आदेश जारी होने के समय अभ्यर्थी के पद के दायित्वों से सम्बन्धित तकनीकी/उच्चतर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने के कारण 06 माह की अवधि में कार्यग्रहण करने में असमर्थ होने तथा कार्यग्रहण अवधि में विस्तार हेतु

आवेदन प्रस्तुत करने पर नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यग्रहण अवधि को अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण होने की अवधि अथवा 06 माह, जो भी कम हो, तक की अवधि को और बढ़ाया जा सकेगा। 06 माह की अवधि में भी पाठ्यक्रम पूर्ण न होने पर विभाग द्वारा कार्मिक को कार्यग्रहण करने के पश्चात अध्ययन पूर्ण करने हेतु चाहे जाने पर असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।

2. नियुक्ति आदेश जारी होने के समय यदि अभ्यर्थी पहले से राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियमित रूप से पदस्थापित/कार्यरत है एवं अभ्यर्थी द्वारा पूर्व पदस्थापित विभाग में कार्यमुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किसी कार्मिक के विरूद्ध कोई अनुशासनिक जॉच कार्यवाही लम्बित हो, तो इस आधार पर कार्यमुक्त करने से न रोका जाये तथा कार्यमुक्त करने के उपरांत कार्मिक द्वारा नवीन पद पर कार्यग्रहण करने के उपरांत अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्ताव उस विभाग को प्रेषित कर दिये जाये। यदि किसी कार्मिक का चयन राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्यत्र यथा–भारत सरकार/अन्य राज्य सरकार/स्वायत्तशाषी संस्थान/निजी क्षेत्र आदि में हुआ है, तो लम्बित अनुशासनिक जॉच कार्यवाही को अधिकतम 03 माह में पूर्ण करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाये।

23/3/22

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव गण।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

(जय सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

17/2022

Jyoti/Year 2022/Circular//4